


मनीष कुमार नेमा



नदियों को जोड़ने की चुनौतियां

भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि मानसून पर आश्रित है। गहराते जल संकट और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम मानसून की अनियमितता से सबसे अधिक पीड़ित हैं और हमें अपनी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपनी संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना न केवल जल संरक्षण परियोजनाओं की एक श्रृंखला है अपितु जल संकट का निवारण भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में नदी जोड़ परियोजना को क्रियान्वित करने के पक्ष में दिए गए स्पष्ट निर्णय से यह दावा और भी प्रबल हो जाता है।

प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और बदलते जलवायु के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जल संसाधनों की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। भारत की जल नीति के संदर्भ में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट यह कहती है कि भारत को अक्षम जल आपूर्ति सेवाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि किसानों और शहरी निवासियों को स्वयं के उपभोग हेतु नलकूपों के माध्यम से भूजल की पम्पिंग करनी पड़ रही है। इन कारणों से अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है और जलभृत (Aquifers) भी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी का प्रावधान तथा किसानों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था इस भूजल समस्या को हल करने के बजाय और बढ़ा रही है। भारत में जल संकट और भी गंभीर समस्या होती जा रही है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जल एक

स्थानीय एवं असीमित संसाधन नहीं है अपितु जल एक वैश्विक एवं सीमित संसाधन है। देश में जल की अधिकता तथा जल की कमी वाले विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई

राष्ट्रीय जल नीति-2002 एवं 2012 में जल के अंतरबेसिन अंतरण पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि “क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल अंतरण द्वारा जल उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल का अंतरण भी शामिल है।” इस प्रकार आपस में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम से बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूखे से बचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना भारत की एक स्वप्निल योजना है जिसके अंतर्गत 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिंकों द्वारा भारत की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।



भारत में जल संकट और भी गंभीर समस्या होती जा रही है।



बढ़ता हुआ औद्योगीकरण व शहरीकरण स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं।

नदी जोड़ योजना का इतिहास

देश की आजादी के पूर्व ब्रिटिश राज के दौरान एक इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने जल परिवहन प्रयोजनों के लिए गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने की मांग की थी। लेकिन इन क्षेत्रों के बीच बढ़ती रेलवे कनेक्टिविटी के कारण यह विचार स्थगित कर दिया गया। 1970 के दशक में तत्कालीन सरकार ने श्री के. एल. राव द्वारा प्रस्तावित नदियों को जोड़ने की परियोजना की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया था। उनके कार्यकाल में इस परियोजना को गति देने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था जिसने नदी जोड़ परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस टास्क फोर्स ने आगे के अध्ययन के लिए केन-बेतवा एवं पार्वती-काली सिंध-चम्बल परियोजना को चिन्हित किया। तत्पश्चात्, जुलाई 1982 में, इस नदी जोड़ परियोजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने हेतु भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) की स्थापना की।

तत्पश्चात् 2005 में संप्रग सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण लिंक केन-बेतवा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य भी शुरू किया गया था। इसके बाद संप्रग

आपस में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम से बढ़ती आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को बढ़ के कारण होने वाले नुकसान से और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूखे से बचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना भारत की एक स्वप्निल योजना है जिसके अंतर्गत 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिंको द्वारा भारत की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

सरकार के ही कार्यकाल में जनवरी 2009 में ही इस परियोजना के दो और महत्वपूर्ण लिंको पार-तापी-नर्मदा एवं दमन-गंगा-पिंजल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी संबन्धित राज्य सरकारों (महाराष्ट्र एवं गुजरात) से सहमति प्राप्त होने के बाद शुरू किया जा चुका है। फरवरी 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों को जोड़ने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है और इस परियोजना को तेजी से लागू, सुनिश्चित करने के लिए सरकार से कहा गया है। नर्मदा परियोजना पर



किसानों और शहरी निवासियों को स्वयं के उपभोग हेतु नलकूपों के माध्यम से भूजल की पम्पिंग करनी पड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के आलोक में इस परियोजना की उम्मीद बंधती है।

चुनौतियां

भारत में सरकार विशाल जल परियोजनाएं तो लाती है, किन्तु विस्थापितों की पुनःस्थापना, प्रभावशाली नागरिक समाज समूहों के कड़े विरोध एवं पर्यावरण को नुकसान की आशंका के कारण इन्हें लागू करने में काफी दिक्कत आती है। विभिन्न एन.जी.ओ. स्थानीय निवासियों के विस्थापन के मुद्दों को जोर-शोर से उठाते हैं। इस प्रकार के संगठन अनेक जलविद्युत परियोजनाओं के विरोध में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बढ़ता हुआ औद्योगीकरण व शहरीकरण स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में एन.जी.ओ. और नागरिक समूहों ने ऐसे उद्योगों का विरोध तेज कर दिया है जिनमें पानी की अधिक मात्रा में खपत होती है। भारत की लौह अयस्क पट्टी में लगजमबर्ग के आर्सेल्लर मित्तल और दक्षिण कोरिया के पॉस्को समूह की परियोजनाओं के जबरदस्त विरोध के कारण इन परियोजनाओं में देरी इसका ताजा उदाहरण है।

इसके अलावा नदी जोड़ परियोजना के द्वारा नहरों के माध्यम

से नदियों को जोड़ा जाना है और इसके लिए एक बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और वो भी विभिन्न प्रदेशों के मध्य सामंजस्य बनाते हुए। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, जहां कोई बड़ी नदी नहीं निकलती है और जो पड़ोसी राज्यों की नदियों पर निर्भर है, इस परियोजना का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य, जैसे असम, सिक्किम, केरल आदि, अपने जल संसाधनों पर अपने कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इस परियोजना की लागत 5,60,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया है जो एक बहुत बड़ा निवेश है और अंत में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका के कारण यह परियोजना भी खटाई में पड़ सकती है।

अवसर

जल विपुलता वाले क्षेत्रों में बढ़ती नियंत्रण सहित अतिरिक्त लाभों के अलावा नदी जोड़ परियोजना द्वारा नहरों के विस्तृत जाल के माध्यम से अरबों घनमीटर की विशाल जल धाराओं से 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने और 34,000 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन



लिंग परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों एवं परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों की सहमति मिलना भी बहुत आवश्यक है।

का लक्ष्य है, जो मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण उपयोग के लिए पर्याप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि मानसून के मौसम में गंगा, ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के बेसिन में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय बेसिनों में पानी की कमी हो जाती है। इन तमाम बेसिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने, बाढ़ से बचने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए नदी जोड़ कार्यक्रम ही एकमात्र उत्तम और सरल उपाय है। नई कृषि प्रौद्योगिकी और नए प्रकार के बीज मिलने के बाद भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना



उल्लेखनीय है कि मानसून के मौसम में गंगा, ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के बेसिन में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय बेसिनों में पानी की कमी हो जाती है।

सीधी-सी बात यह है कि एन.जी.ओ. तथा परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों द्वारा संगठित विरोध एवं पर्यावरणीय नुकसान की मात्र आशंकाओं के कारण परियोजनाओं को रोकना पड़ता है जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसा अनेक पनबिजली परियोजनाओं के साथ हो भी चुका है।

ही होगा। अन्यथा, खाद्यान्न आयात पर बढ़ती निर्भरता से पीछा नहीं छूटेगा। बदलते हुए जलवायु के परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजनाओं का क्रियान्वयन नितांत आवश्यक है। हालांकि नदी जोड़ने की इस परियोजना में भारी खर्च आने का अनुमान है। परन्तु, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि नदियों को आपस में जोड़ने से भारत का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा और आगे आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या और संपन्नता के

वस्तुस्थिति

सीधी-सी बात यह है कि एन.जी.ओ. तथा परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों द्वारा संगठित विरोध एवं पर्यावरणीय नुकसान की मात्र आशंकाओं के कारण परियोजनाओं को रोकना पड़ता है जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसा अनेक पनबिजली परियोजनाओं के साथ हो भी चुका है। इसी कारण से इन परियोजनाओं में निजी-सार्वजनिक निवेश को लेकर उत्साह भी नहीं है। परिणामस्वरूप, जलविद्युत का आकर्षण समाप्त होता जा रहा है, जबकि देश के हिमालयी भाग में जलविद्युत उत्पादन

कारण खाद्यान्न की बढ़ती मांग की आसानी से पूर्ति हो पाएगी।

की विपुल संभावनाएं हैं। यह सत्य है कि विश्व के अनेक भागों में अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण सफलता के साथ क्रियान्वित हो रहा है। चीन की दक्षिण-उत्तर की जल परियोजना विश्व की सबसे विशाल अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण योजना है। भारत में इस तरह की दीर्घकालिक सामरिक योजनाएं बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की क्षमता तो है, परन्तु इन लिंग परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों एवं परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों की सहमति मिलना भी बहुत आवश्यक है। अतः इन्हीं कारणों से भारत को नर्मदा नदी परियोजना को पूरा करने में भी दशकों का समय लगा। नदी जोड़ योजना का प्रभाव पड़ोसी देशों, जैसे भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश आदि पर भी पड़ना तय है। अतः वह इस परियोजना को लेकर पहले से ही चिंतित हैं। इन सभी देशों के साथ भी मिलकर सहमति बनाना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि मानसून पर आश्रित है। गहराते जल संकट और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम मानसून की अनियमितता से सबसे अधिक पीड़ित हैं और हमें अपनी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने सवैधानिक स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना



भारत में इस परियोजना को लागू करना एक टेढ़ी खीर जरूर है, परंतु असंभव नहीं है। इसके लिए हम सभी को आपस में मिलकर सर्व-सम्मति बनानी होगी एवं सामूहिक प्रयास करने होंगे।

न केवल जल संरक्षण परियोजनाओं की एक श्रृंखला है अपितु जल संकट का निवारण भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में नदी जोड़ परियोजना के क्रियान्वित करने के पक्ष में दिए गए स्पष्ट निर्णय से यह दावा और भी प्रबल हो जाता है।

राजनीतिक व एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन, लालफीताशाही, कानूनी अड़चन, पर्यावरण चिंताओं, भूमि अधिग्रहण पर अनावश्यक कानूनी कारवाई और राज्य सरकारों द्वारा पेशगी प्रीमियम राशि की मांग से साबित हो जाता है कि कोई भी बड़ी परियोजना शुरू

करना बेहद मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी भारत में इस परियोजना को लागू करना एक टेढ़ी खीर जरूर है, परंतु असंभव नहीं है। इसके लिए हम सभी को आपस में मिलकर सर्व-सम्मति बनानी होगी एवं सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस परियोजना में हमारे द्वारा आज किया गया निवेश हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्वर्णिम कल को निधारित करेगा।

संपर्क करें :
श्री मनीष कुमार नेमा,
वैज्ञानिक - बी
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान,
रुड़की (उत्तराखण्ड)

मैं नदी हूँ

शशांक मिश्र भारती

मैं नदी हूँ जल की धारा
उठना-गिरना धर्म हमारा
मधुर-सा गान सुनाती हूँ
नित आगे बढ़ती जाती हूँ।

मैं न कभी भी रुकती हूँ
सदा ही बहती रहती हूँ
ऊंचे पर्वत झरनों के संग
कल-कल करती बहती हूँ।

मैं पाषाणों में भी नृत्य कर
सुन्दर राग सुनाती हूँ
जंगल हो या शहर-गांव
रास्ता बनाती जाती हूँ।

प्रत्येक गांव और शहर को
मैं अपना स्नेह लुटाती हूँ
कल-कलकर गीत सुनाती
पहाड़ से सागर तक जाती हूँ।

हरियाली है मुझको भाती
पत्थर भी मुझमें चलते हैं
मेरे संग मनमोहक-सा
मधुकर भी गुंजन करते हैं।

रुकना मेरा काम नहीं है
सदा ही चलती रहती हूँ
तुम भी कार्य में लगे रहो
बहकर मैं तुमसे कहती हूँ।।

संपर्क करें :

श्री शशांक मिश्र भारती
राजकीय इंफ़्टर कालेज दुबौला रामेश्वर
पिथौरागढ़-262529
(उत्तराखण्ड)

